कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल

पत्रांक : 2109 / 14–1(कैम्प चन्दौसी), दिनांक 30-मई 2018

सेवा में,

श्री संजय नागपाल, विधिवत गठित न्यायवादी,
हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0, मेरठ
क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ।

विषय :– सम्भल में मेरठ–बदायूं (बबराला–बदायूं मार्ग एस0एच0–18) मार्ग किमी0 145 के मध्य (चैनेज 144.957)दांयी पटरी पर ग्राम गुन्नौर अब्दुल हई, तहसील गुन्नौर जिला सम्भल के खसरा संख्या–347, 348 व 349 में एच0पी0सी0एल0, मेरठ द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.076964 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या पी–71/14–2–2018–800(84)/2018 वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 दिनांक 22.05.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक 5054/सम्भल/31314/20178 लखनऊ दिनांक 23.05.2018।

महोदय,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ0एन0–11–268/2014 एफसी, दिनांक 11.07.2014 व एफ0एन0–11–09/98–एफसी, दिनांक 21.08.2014 के आलोक में सम्भल में मेरठ–बदायूं (बबराला–बदायूं मार्ग एस0एच0–18) मार्ग किमी0 145 के मध्य (चेनेज 144.957) दांयीं पटरी पर ग्राम गुन्नौर अब्दुल हई, तहसील गुन्नौर जिला–सम्भल के खसरा संख्या–347, 348 व 349 में एच0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निमार्ण हेतु 0.076964 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोंग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या पी–71/14–2–2018–800(84)/2018 दिनांक 22.05.2018(छाया प्रति संलग्न) में निर्गत शर्तो (बिन्दु संख्या–1 से 30 तक) एवं प्रतिबन्धों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अण्डर टेकिंग निम्न प्रकार इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

Observation No.	Observation	Reply
1	वन भूमि के एक्सीलेशन/डी–एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाइन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले–आउट प्लान के आधार पर होगा।	
2	सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुँचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाये, जिसमें फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।	
3	फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1×1.5मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाये जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरु होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।	
4	प्रस्तावक एजेन्सी के द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो), के अतिरिक्त होगा।	
5	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वन भूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 0.076964 हे0 से अधिक नहीं होगा।	
6	इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) आधारित है।	–

7	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तदोपरान्त पावति की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या(जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तत्पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। **(प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के माध्यम से प्रभावित वन भूमि 0.076964 हेक्टेयर का शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रूपये 48180/–(रुपये अड़तालीस हजार एक सौ अस्सी मात्र) (All Amount will be paid by e-Portal generated Challan only.)** जमा कराया जायेगा।	
8	उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में ऑन लाइन ई–पोर्टल के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा कराया जायेगा। **(All Amount will be paid by e-Portal generated Challan only.)**	
9	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	
10	नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	–
11	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस–पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना(वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फलोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	
12	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	
13	प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।	
14	उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।	
15	भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–J-11013/41/2006-Ia-II(I) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर	

	लिया गया है।	
16	उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों / शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	
17	राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अनुश्रवण के अधीन होंगी।	–
18	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।	
19	प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीव विहार / प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी / नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गई है।	
20	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण–पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वनभूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।	–
21	प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।	
22.	समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	
23.	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	
24.	इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 11.07.2014 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।	
25.	पर्यावरण एवं वन मंत्रायल, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9 / 98–एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–सन्दर्भित डिजीटल डाटा / मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	
26	प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, केन्द्रीय कार्यालय के परिपत्र संख्या–11–268 / 2014 एफसी दिनांक 11.07.2014 में नये दिशा निर्देश के अनुसार परियोजना का ले आउट प्रस्तुत करना होगा।	
27	प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जायेगा। **CA Amount Rs.102600.00 paid by e-Portal generated Challan only.**	
28.	प्रस्तावित वन भूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेग तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फैलिंग, लागिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक 5–1 / 2007–एफसी, दिनांक 11.12.2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।	
29.	प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, प्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या–11–268 / 2014 एफसी, दिनाँक 11.07.2014 में नये दिशा–निर्देश के अनुसार परियोजना का ले–आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा।	
	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के	

	जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं वन आदिम जनजाति /प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित उपलब्ध नहीं है।	
30	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन संबंधी प्रमाण–पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण–पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	
	कृपया तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।	
	CA Amount as per proposal	102600.00
	CA Amount Deposite	-
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	NPV Amount As per Proposal	48180.00
	NPV Amount deposite	-
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	Any other amount deposite –(Complete detail be provide)	-
	Campa Confirmation	-

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

नोट– **CA Amount 102600+NPV Amount 48180 =150780/- (Paid by e-Portal generated Challan के द्वारा नई दिल्ली कैम्पा में जमा की जायेगी।)**

भवदीय

(एम0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग,सम्भल।।

संख्या – /14–1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, गुन्नौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एम0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग,सम्भल।